न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी –श्री प्रदीपसिंह सांगावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–डिक्री 46सन 2023

पंजीयन दिनांक 12.7.2023

मनोहरलाल पिताशांतिलाल जाट निवासी–ऐराल तहसील एवं जिला चित्तौडगढ।

अपीलांट

विरूद्ध

1.शोभालाल पिता खेमराज जाट ।

2.मोतीलाल पिता खेमराज जाट ।

3.रामनारायण पिता शांतिलाल जाट ।

4.चरणसिंह पिता शांतिलाल जाट ।

5.कमलाबाई पत्नी शांतिलाल जाट सभी निवासी–ऐराल ।

6.ग्राम सेवा सहकारी समिति नेतावलगढ पाछली तहसील एवं जिला चित्तौडगढ ।

7.राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौडगढ ।

रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ प्रकरण संख्या 176/2011 निर्णयएवं डिक्री दिनांक 26.12.2011

उपस्थित–श्री राकेशपुरी गोस्वामी–अधिवक्ता अपीलांट

श्री पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो–7

–0–

निर्णय दिनांक 1.11.2023

प्रकरण के तथ्य संक्षैप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या01/वादी ने एक वाद विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ में धारा–53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत मौजा ऐराल में स्थित वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तककी संयुक्त कृषि आराजी नम्बर 625,635,636,637,638,39,640,641,642,720,721 कुल किता–11 रकबा 5.92हैक्टेयर के सबंध में पेश किया गया जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 26.12.2011 को वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया गया जिसके विरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी

अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 3 ने उक्त अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है जो अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटीस जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,3,4,6,7,बावजूद सूचना अनुपस्थित रहें ।

इस न्यायालय में अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गयी जिसके लिये अधिवक्ता अपीलांट ने धारा-5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र पेश किया गया जो न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील में हुई देरी को क्षम्य की जाकर अपील अन्दर अवधि दर्ज की जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस निवेदन किया गया कि विवादग्रस्त आराजियात में अपीलांट का 1/16 एवं 1/12 कुल 7/48वां हिस्सा निहित था परन्तु तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है उसमें अपीलांट का सहवन से 1/91हैक्टैयर में 7/48वां हिस्सा दर्ज कर दिया गया जब कि सम्पूर्ण रकबा 5.92हैक्टैयर में अपीलांट का 7/48वां हैक्टेयर हिस्सा निहित था एवं उसी अनुसार अंतिम डिक्री पारित कर दी गयी जो विधि अनुकुल नहीं है । अंत में उन्होने अपील मिमो में अंकित समस्त तथ्यों को पुनः दोहराते हुये अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 6.12.2011को निरस्त की जाकर प्रकरण को पुनःसुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जावें ।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पो-7 ने विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत होने से प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

मैने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी ओर पत्रावली का अवलोकन किया गया अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायललय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या 03 का विवादित कृषि आराजियात में अपीलार्थी का कुल हिस्सा 1/16 एवं 1/12 कुल हिस्सा 7/48 निहित है फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय में प्रस्तुत फर्द बंटवाडे में अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या 03 का 1.91 में से 7/48वां हिस्सा ही होना मानते हुये फर्द बंटवाडा अपीलार्थी की अनुपस्थिति में मुर्तिक किया जाकर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया उसी फर्द बंटवाडे पर अपीलार्थी प्रतिवादी को सुने बगैर अतिम निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपीलांर्थी प्रतिवादी संख्या 03 की ओर प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर प्रतिप्रेषित योग्य है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी

अतः अपील अपीलांट प्रतिवादी संख्या 03 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ प्रकरण संख्या 176/2011 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2011 निरस्त की जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उपरोक्त ओब्जरवेशन को मध्य नजर रखते हुये बंटवाडा नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुये कमिश्नर स्वंय के द्वारा फर्द बंटवाडा तलब किया जाकर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 1.11.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ मु.उदयपुर